भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 124

जिसका उत्तर 29.01.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा नीति

124. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का विचार मृत्यु होने के बाद ही आरंभ की जाने वाले वैकल्पिक उपायों के बजाय सहायक सड़कों, पैदल भूमिगत मार्गों और वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए जोड़ रास्तों को अनिवार्य करने वाली एक व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा नीति स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर निरंतर दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है, जो दैनिक यात्रियों के जीवन के लिए खतरनाक जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं और क्या भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं और सुरक्षा विफलताओं को सक्रिय रूप से रोकने के लिए बसावटों से गुजरने वाले सभी भावी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थानीय यातायात के पृथक्करण हेतु निरंतर सहायक सड़कें शामिल करना अनिवार्य करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बाद कोई स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सड़क सुरक्षा संपरीक्षा की जा रही है या क्या ठेकेदारों को अभी भी स्व-प्रमाणित अनुपालन की अनुमति है, जिससे जवाबदेही और यात्री सुरक्षा के बारे में चिंताएं उठती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा उपायों में विलंब और डिजाइन संबंधी लापरवाही के कारण अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। सभी एनएच कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशानिर्देशों, मैनुअल, अभ्यास संहिता के साथ-साथ सड़क और पुल कार्यों के लिए विशिष्टताओं के अनुसार किए जाते हैं। आवश्यक सड़क सुरक्षा उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ क्रैश बैरियर, साइनेज बोर्ड, फुट ओवर ब्रिज आदि का प्रावधान शामिल है, जो डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव चरणों के दौरान किए जाते हैं।

नवनिर्मित सड़कों को वाणिज्यिक यातायात के लिए खोलने से पहले उनके स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। सड़क को जनता के लिए खोलने से पहले सड़क संकेतकों और मार्किंग सहित संबंधित सभी चिह्नित सड़क सुरक्षा मुद्दों का समाधान किया जाता है। इसके बाद, परियोजना राजमार्ग के संचालन के दौरान, नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है, ताकि संचालन चरण के दौरान उभरे सुरक्षा मुद्दों को चिह्नित किया जा सके और कोई भी आवश्यक सुधारात्मक उपाय समयबद्ध तरीके से किए जाते हैं। इसके अलावा, सभी मौजूदा और नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना डेटा की निगरानी ईडीएआर पोर्टल (एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस) के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और दुर्घटना स्थलों की पहचान की जाती है। इसके अलावा,

सभी फील्ड अधिकारियों को इन पहचाने गए दुर्घटना स्थलों पर अग्रिम सुधारात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां सौंपी गई हैं, जिससे उन्हें ब्लैकस्पॉट बनने से बचाया जा सके।

इसके अलावा, चिह्नित ब्लैकस्पॉट को अल्पकालिक उपायों जैसे रोड मार्किंग, साइनेज, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिलिनेटर, अनधिकृत मीडियन प्रवेश को बंद करने, यातायात सुचारू करने के उपाय आदि द्वारा समयबद्ध तरीके से ठीक किया जाता है। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट और साइट की स्थितियों के आधार पर स्थायी सुधार उपायों के रूप में सड़क ज्यामिति में सुधार, जंक्शन में सुधार, कैरिजवे का स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास / ओवरपास का निर्माण आदि जैसे दीर्घकालिक उपाय भी किए जाते हैं।

(ड.) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार, केंद्र सरकार हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में मुआवजा प्रदान करती है। तदनुसार, सरकार द्वारा सा.का.नि. 163(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2022 के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के कारण दुर्घटना पीड़ित की मृत्यु होने पर मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को दो लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। योजना दिशानिर्देशों में गंभीर चोट लगने की स्थिति में 50000/- रुपये के मुआवजे के प्रावधान भी है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अनुसार, सरकार ने मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है। योजना की प्रमुख विशेषताओं को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

i. पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति दुर्घटना प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का नकदी रहित (कैशलेस) उपचार पाने का हकदार है।

ii. राज्य सरकारों (पुलिस, पैनल में शामिल अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) आदि के समन्वय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा लागू किया जाना है।

iii. ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) पैकेज को अपनाया गया है।

iv. मोटर वाहन दुर्घटना निधि से प्रतिपूर्ति किए जाने वाले उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा किए गए दावे।

सरकार ने 5 मई, 2025 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को अधिसूचित किया है। प्रक्रिया प्रवाह, हितधारक-वार मानक संचालन प्रक्रियाएं और स्पष्ट रूप से उल्लिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सहित विस्तृत दिशानिर्देश भी 4 जून, 2025 को अधिसूचित किए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 164ख के अधिदेश के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना निधि का गठन किया है, जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत बनाई गई योजना के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए किया जाना है। इस निधि में सामान्य बीमा कंपनियों के साथ-साथ सरकार द्वारा बजटीय अनुदान से एकत्रित योगदान शामिल है।
